

म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय  
पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक - 2829 / लेखा शाखा / जी0पी0एफ0 / 2010 भोपाल, दिनांक- 31-07-2010  
प्रति,


- (1) उपायुक्त/लेखा अधिकारी,  
म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल,  
वृत्त-1/2/3 भोपाल/विद्युत/उज्जैन/इन्दौर/  
ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/मुख्यालय भोपाल
- (2) कार्यपालन यंत्री/सम्पत्ति अधिकारी,  
म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल,  
संभाग/प्रक्षेत्र-.....

242

विषय:- मूल वेतन से नियमित भविष्य निधि कटोत्रा (12%) बावत्।

....0....

ऐसा ज्ञात हुआ है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मण्डल अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की कटोत्री पाँचवे वेतनमान के अनुसार की जा रही है। आपको ज्ञात है कि मण्डल में दिनांक-01.09.2009 से छठवाँ वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अतः सामान्य भविष्य निधि के नियम-11 के उपनियम (1) अनुसार छठवें वेतनमान में मूल वेतन+ग्रेड पे पर 12% की राशि काटकर कर्मचारी के जी0पी0एफ0 खाते में जमा की जानी है, तदनुसार दिनांक 01.09.2009 से जी0पी0एफ0 की 12% कटोत्री तथा इतनी ही राशि का अभिदाय (Contribution) पेन्शन फण्ड में करना सुनिश्चित किया जाये।



( व्ही0 फ0 दीवान )

वि0स0 एवं मुख्य लेखा अधिकारी  
म0 प्र0 गृह निर्माण मण्डल,भोपाल

पृ0 क्रमांक - 2830 / लेखा शाखा / जी0पी0एफ0 / 2010 भोपाल, दिनांक- 31-07-2010  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, आयुक्त, म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय भोपाल।
2. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी/मुख्य सम्पदा अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी, म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय भोपाल।
3. समस्त लेखापाल, म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल, संभाग-..... को पालनार्थ।



वि0स0 एवं मुख्य लेखा अधिकारी  
म0प्र0 हाउसिंग बोर्ड, मुख्यालय भोपाल

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल-भोपाल

क्रमांक

/लेखा शाखा/पेंशन प्रको./मंडल/96

भोपाल, दिनांक

"परिपत्र/388/पेंशन/96-97"

म0प्र0 गृह निर्माण मंडल के आदेश क्र. 6311 दि. 11.9.96 द्वारा मंडल में पेंशन योजना लागू की गई है। वर्तमान में प्रचलित अंशदायी भविष्य निधि योजना को मुख्य भविष्य निधि योजना में परिवर्तन किया जाता है एवं मंडल अंशदान के रूप में गृह निर्माण मंडल द्वारा दी जा रही राशि अंशदान पेंशन निधि के रूप में दी जायेगी।

अतः सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह 9/96 का मंडल अंशदान यू.को. बैंक को नहीं भेजते हुए सूची सहित यह अंशदान पेंशन निधि हेतु मुख्य लेखा अधिकारी के नज़म प्रेषित किया जावे।

विरतीय सलाहकार  
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल

क्रमांक 880/लेखा शाखा/पेंशन प्रको./मंडल/96 भोपाल, दिनांक  
प्रतिलिपि:-

1. अपर आयुक्त म0प्र0 गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र.....
2. उपायुक्त म0प्र0 गृह निर्माण मंडल वृत्त..... ।
3. कार्यपालन यंत्री म0प्र0 गृह निर्माण मंडल संभाग..... ।
4. लेखा अधिकारी (देयक) म0प्र0 गृह निर्माण मंडल भोपाल
5. सम्पत्ति अधिकारी/सम्पत्ति प्रबंधक म0प्र0 गृह निर्माण मंडल.....  
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कृपया सुनिश्चित किया जावे कि माह 9/96 की पेंशन निधि की राशि ससयावधि में मुख्यालय को प्रेषित की जाए एवं सूची की प्रति पेंशन प्रकोष्ठ को पृष्ठांकित की जाए ।

विरतीय सलाहकार  
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल